फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री उदयलाल | विपक्षी : राजस्थान राज्य

केस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | पत्रावली संख्या : 36/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.11.2021 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प भानसोल में पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थी उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन कियां। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम अर्जुनलाल पिता फता खटीक गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत भानसोल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बैक पास बुक की प्रति, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रति, विद्युत बिल प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अर्जुनलाल पिता फता खटीक दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम उदयलाल पिता फतेहलाल अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा अर्जुनलाल उर्फ उदयलाल दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ[illegible] 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जा[illegible] मौजा भानसोल पटवार [illegible] भानसोल की आराजी नम्बर 1384, 1393, 1396 किता 3 रकबा 0.3804 हेक्टेयर भूमि में खातेदार अर्जुनलाल पिता फता के बजाय अर्जुनलाल उर्फ उदयलाल पिता फतहलाल संशोधन किया जावे। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:54:19 IST
Reason: SelfAttested